भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-153

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

विद्यालयों की विलय योजना

153. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में 50 से कम नामांकित विद्यार्थियों वाले विद्यालयों की विलय योजना के अंतर्गत बंद किए जा रहे विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है;
(ख) क्या दूरदराज के विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों हेतु सुरक्षित परिवहन की कोई व्यवस्था है;
(ग) क्या सरकार की उक्त विद्यालयों के विलय के पश्चात बंद विद्यालयों के भवनों के उपयोग हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो उनके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार का इन विद्यालयों के विलय के पीछे उद्देश्य और अपेक्षा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। स्कूलों को खोलना और बंद करना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए 16 जून 2025 के सरकारी आदेश के अनुसार युग्मित स्कूल पहल शुरू की है। अल्प नामांकन वाले विद्यालयों को निकटवर्ती निर्दिष्ट विद्यालयों के साथ युग्मित किया जा रहा है, जो बेहतर अवसंरचना, अधिक समृद्ध शिक्षण और आकर्षक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करते हैं। यह दृष्टिकोण सहकर्मी शिक्षा, आयु-उपयुक्त शिक्षा शास्त्र और 21वीं सदी के कौशल के विकास तक पहुंच को सुगम बनाता है। युग्म बनाने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को सुरक्षित और उपयुक्त दूरी पर स्थानांतरित किया जाए।

अवसंरचना, पहुंच, नामांकन, समावेशन और स्थानीय संदर्भ जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, निकटतम स्कूलों के साथ युग्म बनाने को प्राथमिकता दी जाती है। सरकारी आदेश में संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए स्कूल युग्मीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है।

एनईपी 2020 (5+3+3+4) की नई शैक्षणिक संरचना के अनुरूप, इन स्थानों को बालवाटिका केंद्रों में पुन: उपयोग करने के लिए एक केंद्रित प्रयास चल रहा है। यह पहल नीति के प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर बल देने का समर्थन करती है, जो 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मूलभूत अधिगम वातावरण प्रदान करती है।

जहां संभव है, औपचारिक शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इन केंद्रों को मौजूदा स्कूलों या आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ स्थापित किया गया है। जिला अधिकारी राज्य में इन केन्द्रों के चरणबद्ध रूपांतरण और एकीकरण की निगरानी कर रहे हैं।

****